न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– नजरसानीअपीलडि./टीए/4436/2020/भीलवाडा

1.मांगीलाल पुत्र बालू लाल जाति दर्जी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1.बन्नालाल पुत्र हरजी जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2.नेमीचन्द पुत्र बालचन्द जाति श्रीमाल निवासी बिहाडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3.महावीर पुत्र मोहनलाल जाति दर्जी निवासी हाल रोंपा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4.श्रीमती लाड बेवा रामपाल जाति दर्जी केयर आफ मूलचन्द टेलर निवासी निवासी देवली जिला टोंक
5.श्रीमती प्रेम पुत्री घीसालाल जाति दजी पत्नी रूपचन्द टेलर निवासी कोटडी जिला भीलवाडा
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदास जहाजपुर

–अप्रार्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– नजरसानी/अपीलडि./टीए/4565/2020/भीलवाडा

1.मांगीलाल पुत्र बालू लाल जाति दर्जी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1.महावीर पुत्र मोहनलाल जाति दर्जी निवासी हाल रोंपा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2.बन्नालाल पुत्र हरजी जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3.नेमीचन्द पुत्र बालचन्द जाति श्रीमाल निवासी बिहाडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4.श्रीमती प्रेम पुत्री घीसालाल जाति दजी पत्नी रूपचन्द टेलर निवासी कोटडी जिला भीलवाडा
5.श्रीमती लाड बेवा रामपाल जाति दर्जी केयर आफ मूलचन्द टेलर निवासी निवासी देवली जिला टोंक
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदास जहाजपुर

–अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री रमजान मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 4.2.2021

प्रार्थी द्वारा यह दोनों नजरसानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या–8213/2018 एवं 543/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों नजरसानी प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने तथा दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किये जाने के कारण उभयपक्ष की सहमति से दोनों नजरसानी प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में नजरसानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपील संख्या 8213/2018 बन्नालाल बनाम मागीलाल उक्त अपील के दो वर्ष पश्चात् द्वितीय अपील 543/2020 महावीर बनाम मांगीलाल भारी विलम्ब से मियाद बाहर दिनांक 24–01–2020 को पेश की, जिसका एडमीशन ही नहीं हुआ केवल मात्र नोटिस तलबी में चल रही थी, जिसे गलत मत व्यक्त करते हुए अन्दर मियाद माना है तथा माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलो की एक साथ सुनवाई करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि बालूराम पुत्र कजोड सम्वत् 2011 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण बॉय ऑपरेशन आफॅ लॉ खातेदारी अधिकार प्रदान किये, जो प्रदर्श–6 से स्पष्ट है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 में भी बालूलाल पुत्र कजोड की काश्त दर्ज है। उनका कथन है कि अप्रार्थी

महावरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 अपील में पेश किया, जिसकी न तो नकल दी गयी ना ही रिबटल का मौका दिया गया। इस कारण खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने येाग्य है। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी अधिकारों के बारे में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उनका कथन है कि मण्डल की माननीय खण्डपीठ ने इस महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दू को नजरन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है तथा पारित निर्णय में रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि रही है, जिसे नजरसानी के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे।

5. योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में नजरसानी मीमों में उठाये गये मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और नजरसानी में ऐसा कोई बिन्दू नहीं है जिसमें कोई गलती ऐसी हो जिससे यह मामला नजरसानी के लिए बनाये गये नियमों के तहत विचारणीय हो। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि यदि पारित निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7. यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है –

1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, या

2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या

3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर

8. हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो आधार हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 (8) एससीसी पेज 715, आरआरटी 2005(1) पेज 545 एवं एआईआर 1995 एससी पेज 545 में यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर बी जे (12) पृष्ठ 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

The Scope of review is very limited. It has been clearly held in catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re heard and corrected. There is clearly distinction between an erroneous decision and an error apparent on the face of the record. While the former can be corrected by higher forum, the lateer can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore , a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disquise.

9- इसी प्रकार 2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि नहीं बतला पाये जिससे इन नजरसानी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण में मण्डल की माननीय खण्डपीठ ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं बतला पाये है जिससे इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें। हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित निर्णय में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(डॉ आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष